तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-8-25	**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 111/2024 (2024/275) अनवान विमला बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीया विमला पत्नी लादूराम जाति सरगरा, निवासी मेघवालों का बास ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 274/3 रकबा 2.2905 हेक्टेयर भूमि मौजा शेखानाडा पटवार मण्डल मोगड़ा तहसील लूणी में आई हुई है। जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काबिज है। उपरोक्त खातेदारी भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज भी मौके पर चला आ रहा है परन्तु हाल में राज्य सरकार द्वारा ऑन लाईन तरमीम करते समय सहवन व त्रृटिवंश राजस्व नक्शे में गलत व अशुद्व तरमीम इन्द्राज कर दी जहां पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त है वहां पर ऑन लाईन तरमीम राजस्व नक्शे में गलत इन्द्राज कर दी है। मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार प्रार्थी की तरमीम नही की गई है। वर्तमान में ऑन लाईन तरमीम राजस्व नक्शे में खातेदार के मौके व कब्जा व काश्त के अनुसार नही की गई है। राजस्व नक्शे में अशुद्व तरमीम से प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे है एवम् भविष्य में खातेदारो के बीच विवाद होने की सम्भावना है जहां पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त है उसी अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त खसरे की ऑन लाईन तरमीम प्रार्थी के बिना सुने व बिना मौका देखे की गई है जो मौके एवं दस्तावेज से पूर्णतया भिन्न है, ऐसी स्थिति में मौका एवं दस्तावेजो की जांच कर प्रार्थी के मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अतः ग्राम शेखानाडा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 274/3 की ऑन लाईन तरमीम राजस्व नक्शे में प्रार्थी के कब्जा व काश्त अनुसार नही की गई है इस कारण ऑन लाईन तरमीम को निरस्त किया जाना का निवेदन किया है।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ. /2025/राजकाज रेफरेन्स न. दिनांक 04.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार लूणी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम शेखानाडा के खसरा नम्बर 274 एवं इसके बट्टा नम्बरान् के खातेदारान जमाबन्दी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। नामान्तरकरण संख्या 183, 187, 196 के जरिये राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुए जिनकी पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित नहीं है। मौका अनुसार तरमीम शुद्वि हेतु खसरा संख्या 274 एवं इसके बट्टा नम्बरान् के खातेदार सहमत है जिसके मौका फर्द में सहमती के हस्ताक्षर अंकित है। लट्ठा नक्शा ट्रेस में उक्त खसरों की तरमीम का लाल स्याही से स्पष्ट अंकन नहीं है। वर्तमान ऑन लाईन नक्शा एवम् शुद्व प्रस्तावित नजरी नक्शा खातेदारान हस्ताक्षर सहमती सहित संलग्न है। प्रस्तावित शुद्व नजरी नक्शा अशुद्व दर्ज होने से एवं सभी खातेदारों की सहमती होने से नियमानुसार संलग्न प्रस्तावित शुद्व नजरी नक्शा को ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्ती किये जाने की अनुशषा की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर बहस सूनी गई। तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम शेखानाडा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 274 एवं इसके बट्टा नम्बरान् के खातेदार सहमत होने पर संलग्न प्रस्तावित शुद्व नजरी नक्शा को ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम शेखानाडा तहसील लूणी के खसरा नंबर 274 एवं इसके बट्टा नंबर को तहसीलदार रिपोर्ट के **संलग्न प्रस्तावित शुद्व नजरी नक्शा** को ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्ती कर अमल दरामद करें। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 को आदेश का अंग समझा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी